न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : पंचायत निगरानी सं0 2/2015 भैरु सिंह बनाम ग्राम पंचायत मण्डो

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27-9-17	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। निगरानी अधीन आज्ञा ग्राम पंचायत मण्डोर दिनांक 20-10-2010 व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा दिनांक 20-10-2010 बहक बिशन-सिंह पुत्र श्री रेवतसिंह निरस्त किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। [signature] अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2015

भैरू सिंह पुत्र श्री धूल सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पिनाच, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत मण्डोर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डोर, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. बिशन सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पिनाच, तहसील –फागी हाल निवासी–फागी, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

गैर–निगरानीकर्त्तागण

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राज0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत मण्डोर दिनांक 20.10.2010 बमिसल सं0 01/2010 एवं इसके अनुसरण में दिनांक 20.10.2010 को जारी किया गया पट्टा सं0 निल बहक श्री बिशनसिंह को निरस्त करने)

उपस्थितिः–

1. श्री रामधन चौधरी, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री नरपतसिंह, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं. 2 की ओर से।
3. गैर–निगरानीकर्ता सं. 1 बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 27.09.2017

ग्राम पंचायत–मण्डोर द्वारा दिनांक 20.10.2010 को श्री बिशनसिंह पुत्र श्री रेवतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पिनाच को 400 वर्गगज आवास भू–खण्ड का रूपये 200/– फीस, पट्टा फीस 21/– रूपये व 21/– रूपये इजाजत फीस, 100/– रूपये विकास शुल्क जमा कर नियम 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा जारी करने की आज्ञा दी हैं और इसके अनुसरण में पट्टा सं0 निल दिनांक 20.10.2010 जारी किया गया हैं जिससे व्यथीत होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उक्त आशय का निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर, नोटिस गैर–निगरानीकर्तागण जारी किए गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री रामधन चौधरी का कथन हैं कि निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 20.10.2010 ग्राम पंचायत–मण्डोर व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0 निल विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत हैं। गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 ने ग्राम पंचायत में गलत तथ्य प्रस्तुत कर बाला–बाला बिना नियमों की प्रक्रिया अपनाये अवैध रूप से रावलो का शामलाती चौक का पट्टा प्राप्त किया हैं जो प्रारम्भ से शून्य होने से निरस्तनीय है। गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 ने ग्राम पंचायत–मण्डोर में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2010 में स्वयं ने आबादी भूमि का पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया हैं। इसमें उसके द्वारा किसी भवन/गृहादि का विवरण अंकित नहीं किया हैं। प्रार्थना पत्र के साथ नक्शे की प्रति प्रस्तुत नहीं की हैं और न ही नियमानुसार वांछित फीस जमा कराई हैं। सार्वजनिक चौक की भूमि को हड़पने की गरज से सारी कार्यवाही आपसी मिलीभगत से गुपचुप में की गई हैं। पत्रावली के अवलोकन से साफ जाहिर हैं कि सारी कार्यवाही पूर्व से ही कम्प्यूटर पर एकसाथ टंकित कर केवल मात्र रिक्त स्थान विभिन्न दिनांक अंकित करते हुए भरे गये हैं। आज्ञा दिनांक 30.07.2010 में कब्जाशुदा पुख्ता मकान/कच्चा मकान/खाम बाडा का पट्टा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र व नक्शा की कॉपी पेश करना व फीस जमा होना अंकित किया हैं जबकि गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 के प्रार्थना पत्र उसके द्वारा आबादी भूमि का पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया हैं। पुख्ता मकान/कच्चा मकान/खाम बाडा अंकित नहीं किया हैं और न ही नक्शा प्रस्तुत किया हैं और न इस दिनांक को कोई फीस जमा हुई हैं। आज्ञा दिनांक 05.08.2010 द्वारा मौका देखने हेतु 3 पंचों को श्री सरदार बंजारा, श्री गीगा खां व श्री रामकरण बैरवा को नियुक्त किया जाना जाहिर किया हैं जबकि पत्रावली में जो मौका रिपोर्ट शामिल की गई हैं वह सरदार, मीरा व कानाराम वार्डपंच की हस्ताक्षरशुदा मौका रिपोर्ट शामिल हैं जो गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 व सरपंच की मिलीभगत जाहिर करते हैं जब ग्राम पंचायत ने मीरा व कानाराम को मौका देखने हेतु नियुक्त ही नहीं किया तो वादग्रस्त स्थल के संबध में मौका रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कोई विधिक अस्तित्व नहीं हैं। आदेशिका दिनांक 6.9.2010 में एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया जाना अंकित हैं और आपत्ति नोटिस दिनांक 6.9.2010 को जारी किया जाना अंकित हैं और इसकी पुश्त पर 3 हस्ताक्षर किये हुये हैं। परन्तु यह नोटिस किस दिनांक को कब और

कहां पर चस्पा किया हैं अंकित नहीं हैं। तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गये हैं, परन्तु इनका पूरा नाम/पता कि ये कहां के निवासी है, पिता का क्या नाम है व्यस्क है अथवा अव्यस्क हैं कोई ब्यौरा अंकित नहीं है, हस्ताक्षर के साथ दिनांक भी अंकित नहीं है जिससे साफ जाहिर हैं कि एक माह की आपत्ति नोटिस सार्वजनिक रूप से नियमानुसार प्रकाशित नहीं किया गया। आदेशिका दिनांक 5.10.2010 में अंकित किया गया हैं कि एक माह की मियाद के भीतर कोई आपत्ति ग्राम पंचायत कार्यालय में दर्ज नहीं की गई हैं। फैसले हेतु आगामी बैठक में पेश की जावे। सारी कार्यवाही फौरी रूप से कागजी कार्यवाही की हैं। किसी प्रकार से नियमों की पालना नहीं की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 20.10.2010 को विक्रय किया गया 10/– रूपये का नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प अप्रार्थी सं0 2 बिशनसिंह का हस्ताक्षरशुदा हैं जिस पर हस्ताक्षर की अथवा पेश करने की कोई दिनांक अंकित नहीं हैं और न ही ऑथ कमिश्नर के हस्ताक्षर हैं। सिविल न्यायालय में चले मुकदमें में तहसीलदार, फागी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 9.9.14 में भू–खण्ड की उत्तर–दक्षिण भुजा 70 फीट एवं पूर्व–पश्चिम भुजा 49 फीट दर्शाई गई हैं तथा भू–खण्ड के पश्चिम में कच्चा–रास्ता व चौक दर्शाया गया है। कमिश्नर मौका रिपोर्ट में उत्तर–दक्षिण 69.6 फीट तथा दूसरी भुजा 78 फीट तथा पूर्व–पश्चिम 49 फीट दर्शाई गई हैं परन्तु दोनों ही मौका रिपोर्टो में यह स्पष्ट अंकित नहीं हैं कि कितने क्षेत्रफल पर पुख्ता/खाम मकान बना हुआ हैं जबकि पट्टा दिनांक 20.10.2010 नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया हैं। नियमों के विपरित जारी किये गये अवैध पट्टे की निगरानीकर्त्ता को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी परन्तु निगरानीकर्त्ता ने जब अपने मकान के लिए निर्माण सामग्री रावलो के चौक में डाली तो निगरानीकर्त्ता के पडौसी बुधसिंह से गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 के हुऐ झगडे में दर्ज एफ.आई.आर. में निगरानीकर्ता द्वारा गवाही देने से नाराज होकर गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 ने रावलो के चौक में निर्माण सामग्री डालने से मना करने पर मौके पर दिनांक 15.8.14 को डिप्टी एस.पी. द्वारा मौका मुआयना किये जाने पर बिशनसिंह द्वारा यह कथन करने पर कि मैंने पट्टा ले लिया हैं, यह जानकारी होने पर निगरानीकर्त्ता ने ग्राम पंचायत में आवेदन कर नकले आदि प्राप्त की इसी दौरान निगरानीकर्त्ता बीमार हो गया और तत्पश्चात् वकील से कानूनी सलाह मशविरा करके बिना विलम्ब किये निगरानी प्रस्तुत की गई हैं। निगरानी प्रस्तुत किये जाने के लिए अधिनियम में समय–सीमा का कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत मण्डोर का फैसला दिनांक 20.10.2010 व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा दिनांक 20.10.2010 निरस्त फरमाया जावे।

गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 के विद्वान् अभिभाषक श्री नरपतसिंह का कथन हैं कि निगरानी अधीन पट्टा दिनांक 20.10.2010 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप वैध रूप से जारी किया गया हैं। पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के सभी प्रावधानों की पालना की गई हैं। वैध रूप से जारी किये गये पट्टे की अत्यधिक विलम्ब से सीधे ही निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि नियमों में अपील किये जाने का प्रावधान है। निगरानीकर्त्ता ने बिना किसी हक एवं अधिकार के निगरानी पेश की हैं जबकि निगरानीकर्त्ता का निगरानी अधीन पट्टेशुदा भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं हैं। निगरानीकर्त्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र पट्टाशुदा भूमि के विरूद्ध सार्वजनिक हितों को लेकर आम जनता की हैसियत से न आकर अपने निजी हितो को लेकर निगरानी पेश की हैं। अतः निगरानीकर्त्ता को निगरानी पेश करने का अधिकार न होने से निगरानी निरस्त योग्य हैं। गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 ने नियमानुसार ग्राम पंचायत में उसकी पुश्तैनी आबादी भूमि पर बने गृहादि का पट्टा देने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। ग्राम पंचायत ने पंचों को मौका निरीक्षण हेतु निर्देश दिये हैं, पंचों ने मौका देखा हैं, मौका रिपोर्ट में पंचों ने स्पष्ट रूप से 50 वर्षो से अधिक का कब्जा होना जाहिर किया हैं। आपत्ति नोटिस जारी किया है, कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर ग्राम पंचायत ने सर्व–सम्मति से निर्णय लेकर, गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 को पट्टा जारी किया हैं। सिविल वाद उनवानी बिशनसिंह बनाम भैरूसिंह में जो मौका कमिश्नर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की हैं, सही हैं। गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 को जो पट्टा जारी किया गया हैं उसमें उत्तर दिशा में स्वयं पट्टेधारी की आबादी पुश्तैनी भूमि व बाडा व पश्चिम दिशा में गोबर गैस का प्लान्ट होना वर्णित किया हैं पूर्व दिशा में गोपाल गुर्जर का मकान वर्णित हैं। इससे स्पष्ट जाहिर हैं कि पट्टा जारी होने से पहले का गोपाल गुर्जर का मकान हैं जिसका निकास पश्चिम दिशा में एवं गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 का निकास पूर्व दिशा में हैं अर्थात् 11 फीट गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 एवं गोपाल गुर्जर के मध्य जगह है वो आने–जाने का रास्ता पूर्व से रहा है जिसे पट्टाशुदा भूमि से जोडने का कथन मिथ्या व बनावटी हैं। गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 ने अपनी पुश्तैनी आबादी भूमि का सुविधा अनुसार नाप का पट्टा लिया हैं, नियमों में कोई पाबन्दी नहीं हैं पट्टा लेने के लिए चाहे खाम मकान हो या पुख्ता। ग्राम पंचायत में आवेदन कर पट्टा प्राप्त किया जा सकता हैं। निगरानी प्रार्थना पत्र द्वैषतावश मात्र गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया हैं एवं वाद बिशनसिंह बनाम भैरूसिंह जो न्यायालय सिविल न्यायाधीश फागी के समक्ष विचाराधीन हैं जिसमें जवाब दावे से बचने एवं वाद को देरी करने की नियत से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं,

जो सारहीन होने से निरस्तनीय है। निगरानी प्रार्थना पत्र पूरणसिंह पुत्र बुद्धसिंह के जैर–असर में आकर पेश की गई हैं। पूरणसिंह ने ही निगरानीकर्त्ता का अपहरण कर निगरानी की कार्यवाही करवाई हैं। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 बिशनसिंह ने दिनांक 30.07.2010 को पुश्तैनी आबादी भूमि का पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया हैं परन्तु इस आवेदन में प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए कोई पर्याप्त विवरण अंकित नहीं हैं और न ही प्रस्तावित भू–खण्ड का नक्शा प्रस्तुत किया गया हैं। पत्रावली पर ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जो यह सिद्ध करते हो कि गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 ने नक्शा फीस ग्राम पंचायत में जमा कराई हो। नक्शे के अभाव में यह स्वीकार किया जाना कि प्रस्तावित भू–खण्ड 400 वर्गगज पर गृहादि स्थित हैं और 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित हो, को वैध नहीं ठहराया जा सकता हैं। भू–खण्ड के पट्टे हेतु आवेदन किये जाने पर दिनांक 05.08.2010 को तीन पंचों सरदार बंजारा, गीगा खां व रामकरण बैरवा को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। किन्तु मौका निरीक्षण रिपोर्ट सरदार, मीरा व कानाराम वार्ड पंच की पत्रावली में शामिल हैं जबकि वार्ड पंच मीरा व कानाराम को मौका निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त ही नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में जबकि ग्राम पंचायत द्वारा मीरा व कानाराम को मौका देखने हेतु अधिकृत ही नही किया गया हैं तो बिना अधिकृत किये गये पंच द्वारा दी गई मौका रिपोर्ट को सद्भाविक व वैध रूप में नहीं माना जा सकता हैं। निरीक्षण रिपोर्ट में यह मुद्रित हैं कि "प्रार्थना पत्र जो मिसल में संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमि लाल रंग से दिखाई गई हैं और उस नक्शे के नीचे भूमि का क्षेत्रफल लम्बाई, चौड़ाई प्रति गज, फुट में अंकित हैं। जिसमें उनके नक्शा नवीस के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।" जबकि प्रार्थना पत्र में भूमि का लाल स्याही से कोई विवरण अंकित नहीं किया गया हैं और न ही किसी नक्शा नवीस के हस्ताक्षर हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तावित भू–खण्ड का नक्शा भी नहीं हैं। अतः निरीक्षण रिपोर्ट में तथ्यों के विपरित अंकित किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस, दिनांक 06.09.2010 को जारी किया गया है, किन्तु नोटिस पर चस्पानगी की रिपोर्ट और 2 मौतबिरान के हस्ताक्षर के साथ दिनांक व वल्दियत, पता अंकित नही है। इससे संदेह किये जाने का पर्याप्त कारण है कि वास्तव में आपत्ति नोटिस चस्पा भी हुआ है अथवा नही और यदि चस्पा हुआ है तो किस दिनांक को हुआ है, आपत्ति अवधि पर्याप्त रूप से

एक माह की दी गई अथवा नही ? उक्त विवेचन से निगरानीकर्त्ता के विद्वान अभिभाषक के इस कथन को बल मिलता है कि पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही गुपचुप में की गई हैं अथवा अनियमित रूप से की गई हैं। आपत्ति नोटिस दिनांक 06.09.2010 को जारी किया जाना अंकित किया गया हैं जिसकी नियमानुसार चस्पान्गी तो हैं ही नहीं इसके साथ ही दिनांक 06.09.2010 को उसकी तारीख से 01 मास के भीतर आपत्ति चाही गई हैं जो कि 06.10.2010 को पूरी होती हैं इसके पूर्व ही दिनांक 05.10.2010 को 01 माह की अवधि पूरी होना माना जाकर कार्यवाही की गई हैं जो न्यायसंगत नहीं हैं। पत्रावली पर ऐसे कोई सद्भाविक दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जो यह सिद्ध करते हो कि निगरानी अधीन भू–खण्ड पर गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 का 50 वर्षो से पूर्व का गृहादि निर्मित होकर कब्जा हो। आपत्ति नोटिस में दर्शाई गई भूमि के विवरण में दक्षिण की ओर सार्वजनिक आम रास्ता दर्शाया गया है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 (2) (ध) में अन्य जिला सडको और गांव सडको की मध्य रेखा से 50 फुट की सीमा में आबादी भूमि का विक्रय किये जाने अथवा पक्के निर्माण पर प्रतिबन्ध हैं। फैसला दिनांक 20.10.2010, मौका रिपोर्ट दिनांक 09.09.2014 व मौका कमिश्नर रिपोर्ट से यह जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त भू–खण्ड के दक्षिण में आम रास्ते की भूमि/आम रास्ते के सट्वा भूमि का भी पट्टा जारी किया गया हैं। गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 2 के विद्वान् अभिभाषक की इस दलील में कि प्रकरण में अपील की जानी चाहिए थी और निगरानी प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, हम कोई सार नही पाते है। अधिनियम में स्वप्रेरणा से अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर निगरानी सुने जाने के अधिकार प्रदत्त किये गए है और निगरानी में समय सीमा बाधित नही है। अतः उक्त विवेचनानुसार निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निगरानी अधीन आज्ञा ग्राम पंचायत मण्डोर दिनांक 20.10.2010 व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा दिनांक 20.10.2010 बहक बिशनसिंह पुत्र श्री रेवतसिंह निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर